न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 14/2024

अनवान : –

1. अजय गोदारा पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रणजीत सिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. बलवन्ती देवी पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. अल्का पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. संजू पुत्री रणजीत सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील।
7. अनिता देवी पुत्री रणजीत सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

9. रविन्द्र पुत्र रणजीत सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. प्रवीण कुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 2 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 103/75 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 0.1980 है0 भूमि में से 1/16 हिस्सा एवं खाता संख्या 101/75 के कुल खसरे 42 की कुल तादादी 8.2340 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 210/167 के खसरे 16 की कुल तादादी 2.1630 है0 में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के मृतक दादा देवीलाल पुत्र लादुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के दादा देवीलाल पुत्र लादुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वारिस मोहनलाल, रणजीत सिंह, मदनलाल व बलवन्ती देवी हुए तथा मोहनलाल पुत्र देवीलाल के एक पुत्र अजय गोदारा व एक पुत्री अल्का हुए एवं रणजीत सिंह पुत्र देवीलाल के एक पुत्र रविन्द्र दो पुत्रिया संजू व अनिता देवी हुए एवं मदनलाल पुत्र देवीलाल के एक पुत्र प्रवीण कुमार हुआ जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुके है एवं प्रतिवादी संख्या 2 जो कि तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 का पिता है एवं प्रतिवादीया संख्या 6 एवं 7 जो कि तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुके है एवं प्रतिवादी संख्या 3 जो कि तरतीवी प्रतिवादी संख्या 10 का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 जो कि वादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 7 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त चारों खातों की भूमि में वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र देवीलाल आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयप[illegible]हस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:00 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकार[illegible] वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो [illegible] वर्तमान में वादी के दादा देवीलाल पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

1 ता 7 व 9, 10 का जन्म से हक हिस्सा है। देवीलाल पुत्र लाधुराम का देहान्त हो चुका है देवीलाल पुत्र लाधुराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 9, 10 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 103/75 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 0.1980 है0 भूमि में से 1/16 हिस्सा एवं खाता संख्या 101/75 के कुल खसरे 42 की कुल तादादी 8.2340 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 210/167 के खसरे 16 की कुल तादादी 2.1630 है0 में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के मृतक दादा देवीलाल पुत्र लादुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी के दादा देवीलाल पुत्र लाधुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। देवीलाल पुत्र लाधुराम का देहान्त हो चुका है देवीलाल पुत्र लाधुराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 9, 10 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 103/75 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 0.1980 है0 भूमि में से 1/16 हिस्सा एवं खाता संख्या 101/75 के कुल खसरे 42 की कुल तादादी 8.2340 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 210/167 के खसरे 16 की कुल तादादी 2.1630 है0 में से 1/4 हिस्सा भूमि उपरोक्त चारो खातो की भूमि में मृतक देवीलाल पुत्र लादुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि तहसीलदार नोहर को मय तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:00 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 14/2024
अनवान : –

1. अजय गोदारा पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रणजीत सिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. बलवन्ती देवी पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. अल्का पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. संजू पुत्री रणजीत सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील।
7. अनिता देवी पुत्री रणजीत सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

9. रविन्द्र पुत्र रणजीत सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. प्रवीण कुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 08 सन 2024 निर्णय दिनांक – 07/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 103/75 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 0.1980 है0 भूमि में से 1/16 हिस्सा एवं खाता संख्या 101/75 के कुल खसरे 42 की कुल तादादी 8.2340 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 210/167 के खसरे 16 की कुल तादादी 2.1630 है0 में से 1/4 हिस्सा भूमि उपरोक्त चारो खातो की भूमि में मृतक देवीलाल पुत्र लादुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:29:00 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर